कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा/संस्था/एफ–1/12102(221)/सी.भ/पु.अ. ग्रेड–III/2024–25 दिनांकः–यथाहस्ताक्षर

अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III सीधी भर्ती 2024 अन्तर्गत बोर्ड द्वारा जारी विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन में भाग लेने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश :–

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III सीधी भर्ती 2024 अन्तर्गत पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु बोर्ड द्वारा जारी विचारित सूची में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता जांच का कार्य माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, बीकानेर में किया जायेगा। दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता जांच हेतु अभ्यर्थी निम्न दिशा–निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन करें :–

1. अभ्यर्थी को निम्नांकित दिशा–निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए ऑनलाईन विस्तृत आवेदन पत्र, विज्ञप्ति के समय सर्वप्रथम भरा गया ऑनलाईन आवेदन पत्र मय संलग्नक एवं मूल दस्तावेज के **व्यक्तिशः** कार्यालय में निर्धारित दिनांक एवं समयावधि में उपस्थित होना है। निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी को पात्रता जांच से वंचित कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
2. अभ्यर्थी **विस्तृत आवेदन पत्र (स्क्रूटनी फॉर्म मय अटेस्टेशन फॉर्म)** एवं **विज्ञप्ति के समय सर्वप्रथम भरे गये ऑनलाईन आवेदन पत्र** की दो प्रतियों के साथ समस्त दस्तावेज की स्वयं हस्ताक्षरित छाया प्रतियां संलग्न कर सत्यापन दल को प्रस्तुत करगें। आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र डाउनलोड कर विस्तृत आवेदन के साथ आवेदन के मुख्य पृष्ठ के ऊपर अनिवार्य रूप से संलग्न करे।
   I. **प्रथम प्रपत्र** :– यह प्रपत्र चेकलिस्ट है, जिसमें अभ्यर्थी हेतु उल्लेखित कॉलम की पूर्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की जानी है और प्रपत्र पर नीचे हस्ताक्षर भी किये जाने हैं।
3. **विस्तृत आवेदन पत्र मय अटेस्टेशन फॉर्म दो प्रतियों में तथा संलग्न किये जाने वाले समस्त दस्तावेज दो प्रति में प्रस्तुत करने हैं।** विस्तृत आवेदन पत्र एवं अटेस्टेशन फार्म की सभी प्रविष्टियों की पूर्ति सावधानीपूर्वक कर मय राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर व पदनाम की सील के प्रस्तुत किए जाने हैं। अटेस्टेशन फार्म का कोई भी कॉलम अपूर्ण/रिक्त नहीं होना चाहिए। इन दिशा–निर्देशों के साथ **अटेस्टेशन फॉर्म का अद्यतन प्रारूप** संलग्न है। उसी प्रारूप को भरा जाना सुनिश्चित करावें।
4. **आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न किये जावें :– सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी, स्नातक/स्नातकोत्तर की सभी वर्षों की अंकतालिकाएं (यदि हों तो) एवं प्रशैक्षणिक योग्यता (CLib, DLib, BLib etc.) की अंकतालिका मय डिग्री भी आवश्यक रूप से संलग्न करें।** आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा सक्षम स्तर से जारी जाति प्रमाण पत्र जो कि पिता के नाम से जारी किया गया हो (**SC, ST, OBC, MBC, EWS**) प्रस्तुत किया जायेगा। मूल निवास प्रमाण–पत्र एवं जहाँ लागू हो वहाँ विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र, विवाह–विच्छिन्न/परित्यक्ता/तलाकशुदा वर्ग में आवेदन करने पर माननीय न्यायालय द्वारा जारी डिक्री, जो कि ऑनलाईन आवेदन के अंतिम निर्धारित तिथि से पूर्व तक की जारी हो, एवं विधवा होने पर पति का मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं पति से लिंक कोई दस्तावेज यथा–राशनकार्ड/आधार कार्ड/वोटर आई–डी./जन–आधार इत्यादि, दिव्यांग श्रेणी में

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.12.04 08:07:16 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19193012

आवेदित करने पर सक्षम स्तर से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक वर्ग में आवेदन करने पर पेंशन डायरी/पी.पी.ओ.जी.पी.ओ./सेवानिवृत्त नहीं होने पर सक्षम स्तर से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के मूल दस्तावेज एवं उनकी स्वप्रमाणित फोटोप्रतियां भी आवश्यक रूप से साथ लेकर आवें। यदि अभ्यर्थी सेवारत है तो सेवारत होने का प्रमाण पत्र और एनओसी भी संलग्न करें। **मूल दस्तावेजों के अभाव में किसी अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।**

I. अभ्यर्थी द्वारा सैकण्डरी/सी. सैकण्डरी/स्नातक/स्नातकोत्तर (यदि हों तो)/प्रशैक्षणिक योग्यता (CLib, DLib, BLib etc.) की सभी अकंतालिकाएं और प्रमाण पत्र/डिग्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जाने हैं।

II. **फोटो एवं हस्ताक्षर** :– विस्तृत आवेदन पत्र और अटेस्टेशन फार्म में जहाँ भी फोटो लगाई जानी हैं वहाँ फोटो लगावें और जहाँ हस्ताक्षर किये जाने हैं वहाँ पर हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करें।

III. **जाति प्रमाण पत्र** :– राजस्थान राज्य के मूल निवासी एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./एम.बी.सी. श्रेणी के अभ्यर्थियों के राजस्थान सरकार के निर्धारित प्रपत्र पर **पिता के नाम के आधार पर** जारी प्रमाण पत्र मान्य होगें। महिला अभ्यर्थी भी पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र ही विभाग को प्रस्तुत करें। विज्ञापन में उल्लेखानुसार कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक : 20.01.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण–पत्र पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III सीधी भर्ती–2024 हेतु ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। आवेदन की तिथि के बाद का प्रमाण–पत्र होने पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.2022 के अनुसार शपथ–पत्र प्रस्तुत करें।

IV. **आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS)** :– उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी राजस्थान सरकार के द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में सक्षम स्तर से जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें। महिला अभ्यर्थी भी पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र ही विभाग को प्रस्तुत करें। अन्य राज्य से विवाहोपरांत राजस्थान में प्रवासित EWS की महिलाएं अभ्यर्थियों द्वारा पिता के नाम से जारी EWS प्रमाण पत्र जिसमें पति के नाम का भी अंकन होगा, (अर्थात् प्रमाण पत्र में पिता व पति दोनों का नाम अनिवार्य है) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

V. **विधवा श्रेणी (WD) :–** उक्त श्रेणी की अभ्यर्थी साक्ष्य के रूप में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा पति–पत्नि की कोई संयुक्त आई.डी/राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर आई.डी अथवा अन्य प्रमाणिक दस्तावेज संलग्न करें, जिसमें पति–पत्नि होने का उल्लेख हो। इस श्रेणी की अभ्यर्थिया द्वारा पुनर्विवाह किये जाने/नहीं किये जाने के सबंध में फोटोयुक्त स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र संलग्न करें।

VI. **विवाह–विच्छिन्न/परित्यक्ता/तलाकशुदा श्रेणी (DV)** :– उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा सक्षम न्यायालय से जारी तलाक की डिक्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें और पति–पत्नि की कोई संयुक्त आई.डी. भी संलग्न करें।

VII. **विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यकता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधवा महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा विधवा के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी निर्धारित रूपये 50/– का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।**

VIII. **विशेष योग्यजन प्रमाण–पत्र :–** नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी संबंधित निःशक्तता का प्रमाण–पत्र, जिसमें निःशक्तता का स्पष्ट उल्लेख हो एवं निःशक्तता 40 प्रतिशत से कम उल्लेखित ना हो।

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.12.04 0?:07:16 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19193012

दिव्यांगजन अभ्यर्थियों से **यूनिक डिसेबिलिटी आई डी (यू.डी.आई.डी)** का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

IX. अभ्यर्थी सभी शैक्षणिक, जाति, मूल–निवास व विशेष योग्यजन प्रमाण–पत्र का अवलोकन कर लें तथा नाम में वर्तनी/स्पेस संबंधी अंतर होने पर निर्धारित रूपये 50/– का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र प्रस्तुत करें।

X. ऑनलाइन आवेदन में अंकित नाम व 10वीं की अंकतालिका में अंकित नाम में स्पेलिंग में त्रुटि होने पर निर्धारित रूपये 50/– का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा सत्यापित शपथ प्रस्तुत करें। यदि नाम में परिवर्तन करा लिया गया है तो अभ्यर्थी गजट पत्र अवश्य रूप से लेकर आवें।

XI. अभ्यर्थी पात्रता जांच के समय स्वयं का मूल फोटो आई.डी. प्रूफ (यथा आधार कार्ड) व 5 पासपोर्ट साइज के फोटो अवश्य लेकर आवें।

XII. चरित्र प्रमाण–पत्र (02 पृथक–पृथक राजपत्रित द्वारा जारी) प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

XIII. अभ्यर्थी पर लागू होने वाले वांछित शपथ पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य है।

5. दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित होवें अन्यथा अभ्यर्थी को सत्यापन प्रक्रिया से वंचित कर दिया जावेगा। इस हेतु अन्य कोई अवसर देय नहीं होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
6. दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कोई यात्रा/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
7. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III सीधी भर्ती 2024 पद पर दस्तावेज सत्यापन हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश एवं सम्पूर्ण प्रक्रिया की जानकारी विभागीय वेबसाईट https://education.rajasthan.gov.in/secondary पर तथा बोर्ड की वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी तथा विचारित सूची से चयनित अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा अंकित मोबाईल नम्बर व ईमेल पते के माध्यम से भी जानकारी दी जावेगी। अभ्यर्थी अद्यतन स्थिति हेतु विभाग की वेबसाईट का निरंतर अवलोकन करते रहें।
8. निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर पर गठित कंट्रोल रूम पर दूरभाष नम्बर–0151–2544478 पर कार्यदिवस के दौरान कार्यालय समय में संपर्क कर कोई भी अभ्यर्थी जानकारी प्राप्त कर सकता है।

संलग्न :– अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्र

सभी संबंधित अभ्यर्थियों को आगाह किया जाता है कि शिक्षा विभाग के विभिन्न सीधी भर्ती के पदों पर किये जा रहे दस्तावेज सत्यापन, पात्रता जांच के संबंध में किसी समाज कंटक/अपराधी व्यक्ति के बहकावे/झांसे में नहीं आवें। यदि भर्ती में चयन/पात्र करने का प्रलोभन देता है व बदले में रिश्वत या अन्य कोई मांग करता है तो प्रमाण सहित तत्काल निकटतम पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवायें।

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.12.04 08:07:16 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19193012